

www..smrpgcollege.in
smrpgcollege@gmail.com

॥ ओ३म ॥



सरदार महिपाल राजेन्द्र
जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज
S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE
Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University



विवरणिका
Prospectus
2025-26

एस.एम.आर जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज साहिया, देहरादून

संक्षिप्त परिचय

नैसर्गिक प्रदेश उत्तराखण्ड की सुरम्य उपत्यका में विलसित 'साहिया' में संघ: स्थापित "सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज" जौनसार बावर क्षेत्र की महनीय शैक्षिक उपलब्धि है। इस क्षेत्र के जनमानस में उच्च शैक्षणिक संस्था खोलने की मनोभावना दीर्घकाल से रही जो लगभग तीन दशक से भी अधिक वर्षों के संकल्पों व सात्विक संघर्षों के उपरान्त पूर्ण हुई। प्रथमतः सन् 2010 में जौनसार बावर के साहिया में ग्लोबल शिक्षा समिति (समाल्टा) द्वारा उच्च शिक्षा से वंचित जनजातीय छात्र-छात्राओं को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया। उच्च शिक्षा के प्रति स्थानीय छात्र-छात्राओं की अत्यधिक अभिरूचि के प्रति सजग प्रबन्ध समिति ने वर्ष 2017 में "सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातक महाविद्यालय" की स्थापना की और इसे 6 जून 2018 को (सत्र 2018-19 में स्नातक एवं 2021-22 में स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रम) श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया।

प्राचीन "कुलिन्द" नाम से ख्यात यह वर्तमान जौनसार बावर पुनः अपने खोए शैक्षिक गौरव को स्थापित करने की दिशा में तत्पर है। कलिन्द गिरि से निकली हुई कालिन्दी की उज्ज्वल संस्कृति सिर्फ उत्तराखण्ड ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत वर्ष में अपना महत्व स्थापित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यह महाविद्यालय इसमें महती भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक परिवेश की स्वाभाविक दुरुहता के बावजूद उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक छात्र-छात्रायें इस महाविद्यालय से सरलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और राज्य तथा राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं। जौनसार बावर क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अब सुदूर शहरों में अध्ययन हेतु नहीं जाना पड़ रहा है। यह सुखद अनुभूति सहज ही मन को आह्लादित कर देने वाली है। सात वर्षों की यात्रा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 18-23 वर्ष आयु वर्ग में उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण के मामले में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। अतः एस.एम.आर. परिवार महाविद्यालय में आने वाले समस्त शिक्षार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता है।

दृष्टि (Vision)

अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्य आधारित प्रादेशिक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान बनना तथा छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व दूरगामी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय पूंजी के रूप में विकसित करना।

लक्ष्य (Mission)

हमारा लक्ष्य है कि बदलते सामाजिक परिवेश में महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करना साथ ही छात्रों को मूल्यपरक व रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराते हुए छात्र संकाय और समाज का सबसे पसंदीदा विकल्प बनना तथा योग, विज्ञान, प्रबंधन और शिक्षा के हर विषय में शीर्ष संस्थानों में शामिल होना।

उद्देश्य (Objectives)

- पारंपरिक और नवीन प्रथाओं को एकीकृत करके मूल्य आधारित समग्र शिक्षण और सीखने के माध्यम से उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करना।
- छात्रों के लिए उनकी रचनात्मक क्षमता का पता लगाने, उद्यमिता की भावना को पोषित करने के लिए एक मंच तैयार करना।
- छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कड़ी मेहनत, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और पारिस्थितिकी के मूल मूल्यों में एक मजबूत विश्वास पैदा करना।
- छात्रों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, अनुपालन और स्थिरता को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना।
- निरंतर गतिशील समाज के साथ छात्रों में परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने का गुण विकसित करना।
- छात्रों के व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना।



सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया, देहरादून

संदेश



शिक्षा, सबसे बड़े अर्थ में, कोई भी कार्य या अनुभव है जो किसी व्यक्ति के मन, चरित्र या शारीरिक क्षमता पर एक रचनात्मक प्रभाव डालता है। तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जान-बूझकर प्रसारित करता है। शिक्षा इस प्रकार, वह मौलिक आधार है जो सामाजिक विकास को उत्तेजित करता है।

हमें “बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है।” मैं अपेक्षा करता हूँ कि एक प्रबुद्ध और सामाजिक रूप से जिम्मेदार इंसान को एक शिक्षक द्वारा दो अनूठी विशेषताओं के माध्यम से ढाला जा सकता है, पहली- छात्रों में जिज्ञासा पैदा करके और दूसरी- एक मजबूत मूल्य प्रणाली विकसित करके। एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया महान जीवन वास्तव में छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तम्भ बन जाता है। प्रारम्भ से ही सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, जहाँ हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो।

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज को निरन्तर प्रगति करते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह सब कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं अन्य सभी सहयोगियों के सहयोग से ही सम्भव हुआ है। मैं संस्था अध्यक्ष के रूप में सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिये छात्रों और अभिभावकों के सहयोग व भागीदारी की अपेक्षा करता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज में सभी का स्वागत करता हूँ और उनके उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

अनिल सिंह तोमर
चेयरमैन



सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया, देहरादून

संदेश



शिक्षा वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है जो निरन्तर सीखने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यन्त गतिमान रहती है ' शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को संगठित करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है। '

किसी राष्ट्र का भाग्य वहाँ की शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है अतः हमारा नैतिक दायित्व है कि हर बच्चे को नैतिक मूल्य पर आधारित अच्छी शिक्षा दें। इसी सोच और सद्भावना के साथ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के साहिया में सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज गतिमान है।

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज छात्रों के चहुँमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विगत सात वर्षों की सफल यात्रा में महाविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने में सफल रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज द्वारा प्रारम्भ की गई इस मुहिम में, मैं जनमानस से अपील करता हूँ कि अपना अमूल्य योगदान देकर सहयोग प्रदान करें। हम स्थानीय लोगों एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले लोगों से आह्वान करते हैं कि वे भी महाविद्यालय से जुड़ें और उच्च शिक्षा से वंचित छात्र-छात्राओं को एक उचित मार्ग दिखाएं। इसमें महाविद्यालय सदैव कर्तव्य-निष्ठा के साथ जन सहभागिता के लिए भी तत्पर है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज में सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शक्ति सिंह बर्त्वाल
सलाहकार निदेशक



सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया, देहरादून

संदेश

“शिक्षा केवल जीवन थापन का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा देती है।”

प्रिय अभिभावकों एवं विद्यार्थियों



मुझे यह बताते हुए अत्यंत गौरव एवं प्रसन्नता हो रही है कि 'सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया' ज्ञान, संस्कार एवं सामाजिक जागरूकता का एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। इस शिक्षालय ने जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सपनों को आकार देने का बीड़ा उठाया है। महाविद्यालय का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ से भी संपन्न बनाना है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञानवान, आत्मनिर्भर और संस्कारी नागरिक बने।

आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ-साथ विभिन्न सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

हमारा प्रयास है कि विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता को समझें। जनजातीय समाज के विकास और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शोध एवं नवाचार को भी विशेष महत्त्व दिया जाता है।

मैं अभिभावकों से अपील करता हूँ कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण दें। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के हृदय को भी छूने का प्रयास करें ताकि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके।

आइए हम सभी मिलकर इस शिक्षालय को एक ऐसा ज्ञान मन्दिर बनाएं जहाँ से ज्ञान अर्जन कर प्रत्येक विद्यार्थी “विद्या, विनय और सेवा” का आदर्श लेकर समाज में परिवर्तन का वाहक बने तथा आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद के साथ हम आने वाले समय में नई ऊँचाइयों को स्पर्श करेंगे

डॉ. रवि कुमार

प्राचार्य



अनुक्रमणिका

01.	प्रवेश सम्बन्धी नियम 2025-26	05
02.	वरीयता सूची आधारित प्रवेश प्रक्रिया	09
03.	प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज)	09
04.	आरक्षण	10
05.	अध्ययन पाठ्यक्रम	10
06.	शुल्क विवरण तथा जमाराशि एवं उनकी वापसी	12
07.	प्रवेश शुल्क का भुगतान	13
08.	कॉलेज की सदस्यता	14
09.	विश्वविद्यालय नामांकन	14
10.	उपस्थिति नियम	14
11.	नियन्ता मण्डल	15
12.	परिचय पत्र	15
13.	छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षण शुल्क में रियायतें/छूट	15
14.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु शुल्क में छूट का प्रावधान	16
15.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	16
16.	प्रयोगशालायें	16
17.	क्रीड़ा समिति	16
18.	सांस्कृतिक समिति	16
19.	आर.टी.आई. समिति	16
20.	कॉलेज पत्रिका (कलिन्दजा)	17
21.	कैरियर काउंसलिंग	17
22.	अतिरिक्त शैक्षणिक क्रियाकलाप	17
23.	चिकित्सकीय समिति	17
24.	छात्र प्रतिनिधि समिति	17
25.	जनजातीय संग्रहालय जौनसार बावर	17
26.	सामुदायिक रेडियो केन्द्र	18
27.	रैगिंग पर प्रतिबन्ध	18
28.	जेंडर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (GS CASH)	19
29.	वेबसाइट	19
30.	ई-मेल	19
31.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) विशेष अध्ययन केन्द्र (11130)	19
32.	देवभूमि संस्कृति ज्ञान परीक्षा	19
33.	राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)	20
34.	सिलाई प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स	20
35.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स	20
36.	आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)	20
37.	वार्षिक गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम	20

1. प्रवेश सम्बन्धी नियम 2025-2026

- 1.1 प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से वरीयता सूची पर आधारित होंगे।
- 1.2 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राचार्य/उप-प्राचार्य प्रवेश समिति का गठन करेंगे, जो प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। प्रवेश के लिये प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- 1.3 प्रवेश विवरणिका अच्छी प्रकार पढ़ लें। इसमें दिए गए प्रावधान तथा विनियम कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय परिवर्तनीय हैं।
- 1.4 एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज मूलतः जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जौनसार बावर के निवासियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, अतः प्रवेश में स्थानीय छात्रों को वरीयता दी जायेगी।
- 1.5 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 60 प्रतिशत सीटें जौनसार बावर के अधिवासियों के लिए आरक्षित होगी। जौनसार बावर से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। बशर्ते वे समर्थ पोर्टल की वरीयता सूची में अर्ह हों, अर्हता के अभाव में सभी पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को जौनसार बावर के अभ्यर्थियों की सूची से प्रवेश दिया जायेगा। सभी पाठ्यक्रमों में इच्छुक प्रवेशार्थियों को प्रवेश से पूर्व समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना एवं निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- 1.6 द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठ सेमेस्टर के सभी प्रवेशार्थियों हेतु प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेश मान्य होंगे।

1.7 कृपया अपना पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र भरते समय जाँच लें कि-

1. प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म विधिवत् भरा गया हो।
2. पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र में आपके नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) तथा मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, ABC ID व स्थाई पता एक ही हो।
3. प्रवेश आवेदन पत्र (फॉर्म-ए) के साथ निम्नलिखित संलग्नक भी नत्थी करें।
 - (i) रैगिंग रोकथाम सम्बन्धी शपथ-पत्र, घोषणा पत्र, छात्र द्वारा शपथपत्र (प्रारूप 'क') एवं पिता अथवा अभिभावक की घोषणा (प्रारूप 'ख')।
 - (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
 - (iii) प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अर्हकारी (Qualifying) परीक्षा की अंकतालिकाओं तथा खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C) तथा चरित्र प्रमाण पत्र (C.C) एवं प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) की मूल प्रति (महाविद्यालय में पहली बार प्रवेशार्थी के लिये) अनिवार्य होगी।
 - (v) संस्थागत परीक्षार्थी को पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी को किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी/ लोकसभा/ विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।



- (vi) रैगिंग रोकथाम हेतु शपथपत्र (फॉर्म-बी) (छात्र स्वयं के तथा अभिभावक (माता/पिता) के हस्ताक्षर सहित)।
- (vii) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 1.8 समर्थ पोर्टल पर सही एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करना आवश्यक है। **समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म एवं महाविद्यालय प्रवेश-फॉर्म पर छात्र-छात्रा का वही नाम मान्य होगा जो कि उसके हाई-स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित होगा। उपनाम अनुमन्य नहीं है।**
- 1.9 अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन-पत्र में संलग्न नहीं किया जा सकेगा।
- 1.10 दुराचरण अथवा अनवरत प्रमाद के दोषी छात्रों को अर्थदण्ड सहित निलम्बित, निष्कासित, बहिष्कृत या विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिन छात्रों की गतिविधियाँ नियन्ता मण्डल-प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश देने से रोका जा सकता है अथवा इनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। शासकीय आदेश संख्या अ.षा. 2421/15 -10-87/134/86 दिनांक 8 मई 1987 के अनुसार अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रूचि न रखने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है तो इस तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1.11 प्रवेशार्थी अपने पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ अंक-तालिका या जाति/अधिमान प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति नत्थी न करें। केवल स्व-प्रमाणित प्रतियाँ ही लगायें। मूल-प्रतियाँ साक्षात्कार/सत्यापन/प्रवेश काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी।
- 1.12 प्रवेशार्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में कोई असत्य सूचना न दें और न ही कोई तथ्य छिपाएं। उनके द्वारा प्रस्तुत अंक-तालिकाओं और प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय/परीक्षा निकायों को सत्यापन हेतु भेजी जा सकती है। सत्यापन के उपरान्त यदि कोई पत्रजात (Document) असत्य पाया जाता है तो न केवल प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 1.13 समर्थ पोर्टल की वरीयता सूची में चयन के बाद अभ्यर्थी को महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करानी अनिवार्य होगी। सभी प्रमाण-पत्रों के सही पाये जाने पर ही प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की संस्तुति दी जायेगी।
- 1.14 महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश की संस्तुति मिलने पर ही प्रवेश शुल्क उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक मे चालान के माध्यम से जमा करने की अनुमति होगी।
- 1.15 उपस्थिति पंजिका में किसी भी छात्र-छात्रा का नाम सम्बन्धित विषय प्राध्यापक द्वारा तभी लिखा जायेगा, जब कार्यालय द्वारा आदेश/छात्रों द्वारा फीस रसीद एवं प्रमाणित परिचय-पत्र उन्हें दिखाया जायेगा।



- 1.16 महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बन्धित सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का दायित्व है कि वह समय-समय पर महाविद्यालय के सूचनापट्ट एवं वेबसाइट पर लगने वाली सूचनायें प्राप्त करें।
- 1.17 मिथ्या/अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र-छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। अगर त्रुटिवश मिथ्या सूचना के आधार पर किसी छात्र-छात्रा को प्रवेश प्राप्त हो गया हो तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का विधि सम्मत अधिकार प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं अध्यक्ष का होगा।
- 1.18 महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है। **प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं अध्यक्ष द्वारा कोई भी प्रवेश कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।**
- 1.19 प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा का प्रवेश के समय **प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**
- 1.20 **'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान' (एन.आई.ओ.एस.)** से पांच विषय लेकर 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्रा स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बशर्ते 10वीं के बाद 2 वर्ष का अन्तराल हो।
- 1.21 विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में आकस्मिक प्रवेश **Casual Admission** पूर्णतः वर्जित है।
- 1.22 प्रवेश सम्बन्धित सभी सूचनायें तथा आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि, वरीयता सूची, प्रवेश हेतु चयन, शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि आदि कॉलेज सूचना पट्ट एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। इसलिए सभी प्रवेशार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कॉलेज के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
- 1.23 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme) एक वर्ष यू.जी. सर्टिफिकेट, दो वर्ष का यू.जी. डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम इत्यादि), चार वर्ष की स्नातक (आर्नस) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (ऑनर्स विद रिसर्च) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाएगी।
- 1.24 **समर्थ पोर्टल पर भरे गए विषयों में एक बार आवंटित होने पर विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।** सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति विश्वविद्यालय नियमानुसार विषय परिवर्तन कर सकती हैं। बशर्ते छात्र-छात्रा को निर्धारित विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
- 1.25 अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उसी कक्षा एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्रॉप-आउट, भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **ड्रॉपआउट से तात्पर्य है कि छात्र-छात्रा द्वारा विधिवत् प्रवेश लेने के पश्चात् पूरे सत्र अध्ययन किया हो, परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो।**
- 1.26 प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियमों में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 1.27 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य सीटों के अनुरूप ही प्रवेश दिए जायेंगे।
- 1.28 अन्तिम प्रवेश हेतु आधार कार्ड नम्बर एवं ए.बी.सी.आई.डी. अनिवार्य होगी।
- 1.29 स्नातक पाठ्यक्रम बी.ए., बी.कॉम. एवं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए निर्धारित महाविद्यालय गणवेश (यूनिफॉर्म) अनिवार्य होगी। स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय गणवेश (यूनिफॉर्म) हेतु छूट होगी।
- 1.30 प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात् किसी भी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।



1.31 स्नातक पाठ्यक्रम बी.ए., बी.कॉम एवं बी.लिब प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता-

कक्षा	प्रवेशार्थी का वर्ग	प्राप्तांकों के कुल योग का न्यूनतम प्रतिशत (पाँच विषयों में अर्हता विषयों के साथ)
बी.ए. (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40 प्रतिशत
बी.कॉम (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40 प्रतिशत
बी.लिब (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	स्नातक/समकक्ष 45 प्रतिशत
डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40 प्रतिशत

- i अनुसूचित जाति व जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- ii 39.9 प्रतिशत अंक को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए 34.9 प्रतिशत अंक को 35 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
- iii बी.ए./बी.कॉम/बी.लिब प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश, सीटों की उपलब्धता एवं वरीयता सूची के आधार पर ही निर्धारित तिथि तक किये जायेंगे।
- iv स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली लागू है।
- v संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र-छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
- vi उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- vii प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण एवं महाविद्यालय प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
- viii श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या 3529/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2023 दिनांक 24 जुलाई, 2023 एवं 720/SDSUV/Conf./Exam/2025 दिनांक 06 मई 2025 के अनुपालन में दो वर्ष से अधिक गैप की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

1.32 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.ए. एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता

- i कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं एम.ए. एवं पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होंगे।
- ii डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- iii अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग /दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।
- iv स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.ए. के किसी भी विषय में प्रवेश बी.ए. के किसी एक विषय के आधार पर ही होगा।



- v स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से वरीयता सूची पर आधारित होंगे। वरीयता सूची में अर्ह होने पर प्रवेश फॉर्म महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि पर जमा कराना होगा।
- vi प्रयोगात्मक विषय में केवल उसी विषय में प्रवेश अनुमत्य होगा जिसमें छात्र ने प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो।
- vii बी.एस.सी एवं बी.कॉम में उत्तीर्ण छात्र-छात्रा एम.ए. प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

2. वरीयता सूची आधारित प्रवेश प्रक्रिया

- 2.1 पहले छात्रों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा करना होगा। पंजीकरण फार्म में अंकित प्राप्तांकों के कुल योग के प्रतिशत के अनुसार जारी वरीयता सूची में स्थान पाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। वरीयता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी।
- 2.2 प्रवेश हेतु एक प्रवेश समिति गठित की जायेगी जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त पंजीकरण फॉर्मों के आधार पर वरीयता सूची नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगी, प्रवेशार्थी इस सूची को स्वयं देखना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेशार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी जायेगी। प्रवेश हेतु चयनित सभी प्रवेशार्थियों को सूची में निर्दिष्ट तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिसमें उनकी अभिरूचि का आंकलन किया जायेगा। प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में वरीयता सूची में नाम होने के बाद भी प्रवेश देने से इन्कार कर दें। साक्षात्कार के समय सभी अभिलेखों की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 अपने आवेदन पत्र के साथ अर्ह परीक्षा की अंक-तालिकाओं की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।
- 2.4 अधूरे भरे आवेदन-पत्र जिनके साथ वांछित संलग्नक नहीं लगे हैं निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 2.5 वरीयता सूची तैयार करने में पूरी सावधानी बरती जायेगी, किन्तु फिर भी यदि कोई त्रुटि किसी समय भी ज्ञात होती है तो उसे दूर किया जायेगा। चाहे इससे किसी प्रवेशार्थी की वरीयता पर कोई भी प्रभाव पड़ता हो। त्रुटिवश वरीयता सूची में आया कोई नाम प्रवेश का हकदार नहीं होगा। उसे किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति का होगा।
- 2.6 यदि वरीयता सूची के प्रवेशार्थियों के प्रवेश के बाद सीटें रिक्त रहती हैं तो प्रतीक्षा सूची के प्रवेशार्थियों को अवसर दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची एक से अधिक भी हो सकती हैं।
- 2.7 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो उसका दावा समाप्त हो जायेगा।

3. प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज)

निम्न प्रकार वरीयता अंक (वेटेज) दिया जायेगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत परिवर्तनीय होगा)

- 3.1 राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होंगे (अधिकतम 7 अंक)।



- 3.2 एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक। (अधिकतम 5 अंक)
- 3.3 राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)
- 3.4 स्काउट में पद सोपान-1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान-3 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होंगे, निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 3 अंक देय होंगे। (अधिकतम 5 अंक)
- 3.5 उपरोक्त प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में सात (7) अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।
- 3.6 सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्ध-सैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।
- 3.7 अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

4. आरक्षण

- 4.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम/कक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019-01(03)/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार मान्य होगी जो कि निम्नवत् है। अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) आरक्षण देय होगा- महिला 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, दिव्यांग 05 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित -02 प्रतिशत।

आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें तथा मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होगा।

- 4.2 प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में अधिकतम 5 अंकों की छूट दी जायेगी। बशर्ते विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम/कक्षा हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित न किये हों।

5. अध्ययन पाठ्यक्रम

विषय चयन सम्बन्धित सूचना पढ़कर ही विषयों का चयन करें। गलत विषय चयन करने के पश्चात् होने वाली हानि का उत्तरदायित्व केवल छात्रों का ही होगा।

विशिष्ट मूल एवं ऐच्छिक विषय (Discipline Specific Core)

- 5.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।



- 5.2 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
- 5.3 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।
- 5.4 **ए.ई.सी. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course):** विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का होगा।
- 5.5. **एस.ई.सी.-कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course):** स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online platforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।
- 5.6. **वी.ए.सी.-मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course):** स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
- 5.7. आई.ए.पी.सी. (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच) फील्डवर्क पाठ्यक्रम इन्टर्नशिप/ प्रोजेक्ट/ अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबंधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।
- इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।
- अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।
- 5.8. **Minor Project:** स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस.ई.सी. (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।
- 5.9 **Data Science:** कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस.ई.सी. (SEC) के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।



(क) स्नातक पाठ्यक्रम

- 5.10 कला स्नातक पाठ्यक्रम - बी.ए. उपाधि हेतु। (प्रति विषय 120 सीट) : 1. हिन्दी साहित्य 2. संस्कृत साहित्य 3. अंग्रेजी साहित्य 4. इतिहास 5. राजनीति विज्ञान 6. अर्थशास्त्र 7. समाजशास्त्र 8. शिक्षाशास्त्र 9. भूगोल 10. गृह विज्ञान, 11. चित्रकला, 12. गणित।

निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है-

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	ड्राइंग एवं पेंटिंग (Drawing & Painting)	भूगोल (Geography)	शिक्षाशास्त्र (Education)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)		
गणित (Mathematics)	गृह विज्ञान (Home Science)				

- 5.11 वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम- बी.कॉम. उपाधि हेतु (60 सीट)

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- 5.12 कला स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - एम.ए. उपाधि हेतु (प्रति विषय 25 सीट)

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. राजनीति विज्ञान, 4. इतिहास, 5. शिक्षाशास्त्र।

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Professional Course)

1. B.Lib. & Information Science, 2. PG Diploma in Yogic Science, 3. PG Diploma in Journalism & Mass Communication, 4. Diploma in Hotel Management

6. शुल्क विवरण तथा जमाराशि एवं उनकी वापसी

6.1 प्रवेश फॉर्म शुल्क	₹ 500/- (प्रति सेमेस्टर)
6.2 परीक्षा फार्म शुल्क	₹ 200/- (प्रति सेमेस्टर)
6.3 परिचय पत्र शुल्क	₹ 100/- (प्रति सेमेस्टर)
6.4 छात्र कल्याण शुल्क	₹ 200/- (प्रतिवर्ष)
6.5 क्रीड़ा शुल्क	₹ 400/- (प्रतिवर्ष)
6.5 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क (टी.सी. एवं सी.सी.)	₹ 200/-
6.6 पुस्तकालय शुल्क (स्नातक पाठ्यक्रम)	₹ 500/- (प्रतिवर्ष)
(स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	₹ 500/- (प्रतिवर्ष)
(व्यावसायिक पाठ्यक्रम)	₹ 1000/- (प्रतिवर्ष)
6.7 प्रयोगशाला शुल्क (स्नातक पाठ्यक्रम)	₹ 3000/- प्रति विषय(प्रतिवर्ष)



6.8	प्रयोगशाला शुल्क (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	₹	5000/-	प्रतिवर्ष
6.9	विषय परिवर्तन शुल्क	₹	500/-	प्रति विषय
6.10	स्नातक बी.ए. (सामान्य विषय)	₹	12000/-	प्रतिवर्ष
6.11	स्नातक बी.ए. (प्रयोगात्मक विषय)	₹	15000/-	प्रतिवर्ष
6.12	स्नातक बी.कॉम	₹	12000/-	प्रतिवर्ष
6.13	स्नातकोत्तर एम.ए. (सामान्य विषय)	₹	15000/-	प्रतिवर्ष
6.14	स्नातकोत्तर एम.ए. (प्रयोगात्मक विषय)	₹	20000/-	प्रतिवर्ष
6.15	B.Lib. & Information Science	₹	30000/-	प्रतिवर्ष
6.16	PG Diploma in Yogic Science	₹	25000/-	प्रतिवर्ष
6.17	PG Diploma in Journalism & Mass Communication	₹	25000/-	प्रतिवर्ष
6.18	Diploma in Hotel Management	₹	25000/-	प्रतिवर्ष

नोट: महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र हित में लागू न्यूनतम शिक्षण शुल्क आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।

- 6.19 मूल अंकतालिका/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व कॉलेज की सभी देय राशियों, शुल्क जमा अथवा सम्पत्ति वापस करनी अनिवार्य होगी।
- 6.20 सत्र के मध्य में महाविद्यालय से स्थानान्तरण लेने पर उसको महाविद्यालय की सभी सम्पत्ति वापस करनी होगी।

7. प्रवेश शुल्क का भुगतान

- 7.1 प्रवेश फार्म शुल्क (प्राप्त करते समय) नगद देय होगा।
- 7.2 परिचय पत्र शुल्क शिक्षण शुल्क के साथ (अतिरिक्त) देय होगा।
- 7.3 छात्र कल्याण कोष शिक्षण शुल्क के साथ (अतिरिक्त चालान के माध्यम से) देय होगा।
- 7.4 प्रवेश शुल्क (शिक्षण शुल्क) उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक चालान के माध्यम से ही देय होगा।
- 7.5 परीक्षा शुल्क श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय नियमानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन (अतिरिक्त) देय होगा।
- 7.6 प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रवेश के लिए अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
- 7.7 वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी) और अनाथ (जिन छात्र-छात्राओं के माता और पिता नहीं हैं) को यदि वे अर्ह हो तो स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। (इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र/ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- 7.8 शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि संरक्षित-निधि (Security Money) वापस लेते समय इसे तत्संबंधित प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7.9 तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों हेतु पूर्व सत्रों में जारी शुल्क नियमावली/व्यवस्था लागू होगी।



8. कॉलेज की सदस्यता

- 8.1 कॉलेज में छात्र-छात्राओं के प्रवेश तब तक अन्तिम नहीं माने जायेंगे जब तक वे प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाते हैं। सभी छात्र कॉलेज के सदस्य तब माने जायेंगे, जब उनका प्रवेश आवेदन प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाये और उन्होंने कॉलेज की सम्पूर्ण शुल्क राशि तथा प्राचार्य द्वारा वांछित आवश्यक पत्रजात जमा कर दिये हो। किसी भी छात्र द्वारा कॉलेज शुल्क जमा कर देना मात्र उसका कॉलेज में प्रवेश का दावा स्थापित नहीं कर देता।
- 8.2 यदि कोई छात्र-छात्रा गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो जिसका सम्पर्क अन्य छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ऐसे प्रवेशार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई छात्र-छात्रा कॉलेज की कोई सम्पत्ति, प्रयोगशाला उपकरण या कोई अन्य सामान वापस नहीं करता अथवा उसके द्वारा खोये किसी सामान की पूर्ति अथवा उसके मूल्य का भुगतान नहीं करता तब कॉलेज प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित करने की संस्तुति विश्वविद्यालय को करें।

9. विश्वविद्यालय नामांकन

- 9.1 ऐसे समस्त छात्रों को जो श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल में नामांकित (एनरोल्ड) नहीं हैं को अपना नामांकन (एनरोलमेन्ट) कराना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा लागू शुल्क तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) जहाँ आवश्यक हो, का आवेदन पत्र प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा। यह छात्र-छात्रा का उत्तरदायित्व है कि वह नामांकन आवेदन पत्र भरें तथा मूल प्रव्रजन प्रमाण-पत्र परीक्षा आवेदन फार्म के साथ जमा करें।

10. उपस्थिति नियम

- 10.1 स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या 315/XXIV-C-1/2025-12(10)2024 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं विश्वविद्यालय आदेश संख्या 5694/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2025 दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार कोई भी छात्र-छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता। प्रयोगात्मक विषयों के शिक्षण कार्य अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है।
- 10.2 निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक से 5 प्रतिशत की छूट प्राचार्य द्वारा दी जायेगी तथा 10 प्रतिशत की छूट माननीय कुलपति द्वारा दी जा सकती है।
- (i) विद्यार्थी की लम्बी एवं गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।
 - (ii) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।
2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र-छात्राओं को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में



अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोट: बी.ए., बी.कॉम, बी.लिब., एम.ए. तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

11. नियन्ता मण्डल

- 11.1 कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राओं में अनुशासन एवं समुचित शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने हेतु एक वरिष्ठ प्राध्यापक के नेतृत्व में नियन्ता मण्डल का गठन किया जायेगा। नियन्ता मण्डल में शिक्षक नियन्ताओं के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

12. परिचय पत्र

- 12.1 सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित परिचय पत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क के साथ जमा कराकर स्वयं परिचय-पत्र मुख्य नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। छात्र हर समय अपना परिचय पत्र अपने पास रखें और जब भी कॉलेज अधिकारी उसे देखने की मांग करें तुरन्त दिखायें। यदि परिचय-पत्र खो जायें तो इसकी प्रथम सूचना (तहरीर) पास के पुलिस थाने, चौकी या राजस्व पुलिस में अवश्य करानी होगी। दूसरा परिचय पत्र कॉलेज कार्यालय से 100 रुपये शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु आवेदन प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की प्रमाणित प्रतिलिपि फोटोग्राफ व आवेदन पत्र के साथ मुख्य नियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस विषय में मुख्य नियन्ता का निर्णय ही अन्तिम होगा। छात्र-छात्राएं अपना परिचय पत्र मुख्य नियन्ता कार्यालय से, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करें। अन्य किसी का परिचय-पत्र कोई छात्र/अभिभावक प्राप्त नहीं कर सकेगा।

13. छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षण शुल्क में रियायतें/छूट

- 13.1 उच्च शैक्षिक योग्यताधारी निर्धन छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अंतर्गत अर्द्ध एवं पूर्ण रूपेण शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में सभी प्रकार की शासकीय छात्रवृत्तियां प्राप्य हैं। शिक्षण शुल्क में छूट एवं छात्रवृत्ति, छात्र द्वारा अनुशासन भंग करने, परीक्षा में सम्मिलित न होने, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, अध्ययन में असंतोष जनक प्रगति अथवा परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने की दशा में निलंबित की जा सकती है।
- 13.2 छात्रवृत्ति या वजीफा पाने वाले छात्र शिक्षण शुल्क में छूट हेतु हकदार नहीं होंगे। यदि किसी छात्र को शिक्षण शुल्क में छूट मिल रही है और उसे छात्रवृत्ति भी मिल रही है तो इस स्थिति में, जिस तिथि से उसे छात्रवृत्ति मिल रही है उसी तिथि से शिक्षण शुल्क में छूट समाप्त कर दी जाएगी।
- 13.3 महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (बी.ए-2, बी.कॉम-2 एवं एम.ए-1) पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राएं जो अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं ऐसे पाँच (2+2+1) छात्र-छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र एवं छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 2100/- की धनराशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से श्री साईं दास तलवाड़ जी की स्मृति में प्रोफेसर (डॉ.) के.एल. तलवाड़ जी के सौजन्य से देय होगी।



13.4 शिक्षण शुल्क में रियायत/छूट के लिए यथा समय निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन अवश्य करें।

14. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु शुल्क में छूट का प्रावधान

- 14.1 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो छात्र-छात्राएं उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हैं केवल उन्हें ही शिक्षण शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
- 14.2 शिक्षण शुल्क में छूट से संबंधित अन्य नियम भारत सरकार की ई-स्कॉलरशिप वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जिसमें ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 14.3 अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।

15. पुस्तकालय एवं वाचनालय

- 15.1 कॉलेज में पूर्णरूपेण, सज्जित पुस्तकालय है जिसमें 5000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र-पत्रिकाएँ भी उपलब्ध रहती हैं।
- 15.2 सभी छात्र-छात्राएँ लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए स्वयं ही उपस्थित होकर अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाएंगे।
- 15.3 सभी छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष निर्धारित पुस्तकालय शुल्क जमा कर लाइब्रेरी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। पुस्तकालय शुल्क वापसी देय नहीं होगा।
- 15.4 किसी छात्र-छात्रा द्वारा पुस्तकें वापस न करने अथवा क्षतिग्रस्त स्थिति में वापस करने की दशा में पुस्तक का मूल्य जमा करना अनिवार्य होगा।
- 15.5 पुस्तकालय नियमावली सभी पुस्तकालय सदस्यों पर लागू होगी।

16. प्रयोगशालायें

- 16.1 भूगोल, शिक्षा शास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान, पत्रकारिता व जनसंचार विभाग एवं होटल प्रबन्धन की पूर्ण सज्जित प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ प्रायोगिक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएँ हैं।

17. क्रीड़ा समिति

- 17.1 महाविद्यालय में क्रीड़ा नियमावली 2024 लागू है। जिसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु विभिन्न खेल जैसे बॉलीवाल, क्रिकेट, बैटमिंटन, कबड्डी आदि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इनमें छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं।

18. सांस्कृतिक समिति

- 18.1 महाविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सांस्कृतिक समिति गठित है जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी भाग लेकर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं।

19. आर.टी.आई.समिति

- 19.1 छात्रों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति जागरूक करने व इसके सद-उपयोग की जानकारी देने हेतु एक आर.टी.आई. समिति गठित है जिसमें इच्छुक छात्र सदस्य बन सकते हैं।



20. कॉलेज पत्रिका (कलिन्दजा)

- 20.1 छात्र-छात्राओं में सृजनात्मक अभिरूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से कॉलेज प्रतिवर्ष “कलिन्दजा” नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमें छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रचनाओं के अतिरिक्त कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों को प्रकाशित की जाती है।

21. कैरियर काउंसलिंग समिति

- 21.1 महाविद्यालय में छात्रों को रोजगार परक जानकारी तथा विषय चयन में सहायता देने के उद्देश्य से कैरियर काउंसलिंग आयोजित की जाती है। इस सेवा द्वारा विषय चयन में मार्ग-दर्शन के साथ छात्रों के व्यक्तित्व एवं क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाती है।

22. अतिरिक्त शैक्षणिक क्रियाकलाप

- 22.1 महाविद्यालय में छात्रों के चहुंमुखी विकास के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे- लेखन, वाद विवाद, सुलेख, वाद्य-नृत्य, संगीत, भाषण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

23. चिकित्सकीय समिति

- 23.1 महाविद्यालय से करीब 100 मीटर दूर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जहाँ महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, सभी सदस्य स्वयं को चिकित्सकीय सहायक को दिखा कर दवा इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान सत्र से एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।

24. छात्र प्रतिनिधि समिति

- 24.1 छात्र-छात्राओं में लोकतांत्रिक सोच विकसित करने एवं शैक्षणिक उन्नयन में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्र प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाता है। इसके लिए महाविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि नियमावली 2022 एवं संशोधित नियमावली 2024 लागू है।

25. जनजातीय संग्रहालय जौनसार बावर

- 25.1 महाविद्यालय द्वारा संचालित जनजातीय संग्रहालय जौनसार बावर की स्थापना 23 फरवरी 2020 को जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में विलुप्त हो रही पौराणिक वस्तुओं, संस्कृति, जनजातीय जीवन कला आदि के संग्रह हेतु किया गया है। संग्रहालय के माध्यम से जनजातीय जीवन शैली को देखा और महसूस किया जाएगा जौनसारी जनजाति की भाषा, रहन-सहन, खान-पान और संस्कृति पर शोध अध्ययन किया जाएगा। संग्रहालय में जौनसार बावर की कला, संस्कृति, परंपरा, जीवन उपयोगी शिल्प चित्र, रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों को चित्रपट्टो एवं मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जानने और समझने के लिए ऐसी अनेक वस्तुओं को संग्रह कर सुरक्षित रखा जाएगा जो जौनसारी सभ्यता की याद दिलाएगी। संग्रहालय का उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए किया जाएगा। साथ ही एक ग्रन्थालय भी बनाया जाएगा जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, इतिहास एवं अन्य विविध विषयों की करीब 10000 पुस्तकों का संग्रह किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा पौराणिक वस्तुओं के संग्रह हेतु समाल्टा गाँव में वस्तु गृह केन्द्र स्थापित किया गया है।



26. सामुदायिक रेडियो केन्द्र SMR Radio (Jaunsar Bawar) Uttarakhand

- 26.1 जौनसार बावर की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा के समय त्वरित प्रतिवादन एवं ऑनलाइन शिक्षण कार्य करने के उद्देश्य से स्थानीय बोली जौनसारी व राष्ट्रीय भाषा हिंदी में सामुदायिक रेडियो केंद्र संचालित करने की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है।

27. रैगिंग पर प्रतिबन्ध

- 27.1 महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई छात्र-छात्रा रैगिंग करते या इसके लिए किसी को प्रेरित करते हुए पाया गया/पायी गयी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेश विवरणिका में दिये गये शपथ पत्र (संलग्न है) पर प्रवेशार्थी तथा उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करके प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है।
- 27.2 रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा और वह कानून के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू०जी०सी० की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।

27.3 रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है-

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, including in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension there of in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

27.4 रैगिंग से सम्बन्धित दण्ड के कारण

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना।
- जबरन वसूली।
- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी एक अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास। साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड्यंत्र।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के दौरान शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।
- आपराधिक अतिक्रमण।
- आपराधिक रूप से धमकाना।

27.5 दण्ड

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गम्भीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- कक्षा से निलम्बन।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।



33. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई प्रारम्भ की गई है यह इकाई श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है।

34. सिलाई प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स

महाविद्यालय में सिलाई प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से छात्र-छात्राओं के कौशल विकास को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 100 छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क (ग्लोबल शिक्षा समिति समाल्टा के तत्वावधान में) सिलाई प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स संचालित है।

35. कम्प्यूटर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स

महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से आधुनिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने एवं अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निःशुल्क (ग्लोबल शिक्षा समिति समाल्टा के तत्वावधान में) कम्प्यूटर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स संचालित है।

36. आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)

महाविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने व प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु 'आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल का गठन किया गया है।

37. वार्षिक गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम

37.1 छात्र-छात्राओं के बौद्धिक विकास हेतु राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय पर्वों के साथ-साथ विशेष दिवसों को सम्मिलित किया गया है। जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वार्षिक गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम कैलेंडर

<p>❖ जुलाई ❖</p> <p>07 श्री राजेन्द्र सिंह तोमर स्मृति दिवस एवं विदाई समारोह</p> <p>25 श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस</p> <p>❖ अगस्त ❖</p> <p>12 राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस</p> <p>15 राष्ट्रीय पर्व स्वतन्त्रता दिवस</p> <p>29 राष्ट्रीय खेल दिवस</p> <p>❖ सितम्बर ❖</p> <p>05 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस</p> <p>14 हिन्दी दिवस</p> <p>❖ अक्टूबर ❖</p> <p>02 गांधी /शास्त्री जयन्ती/स्वच्छता दिवस</p>	<p>31 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना दिवस</p> <p>❖ नवम्बर ❖</p> <p>04 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय स्थापना दिवस</p> <p>09 उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस</p> <p>15 जनजाति गौरव दिवस</p> <p>❖ जनवरी ❖</p> <p>26 राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस</p> <p>❖ मार्च ❖</p> <p>08 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस</p> <p>22 विश्व जल दिवस</p>	<p>❖ अप्रैल ❖</p> <p>14 अम्बेडकर जयन्ती</p> <p>❖ मई ❖</p> <p>03 शहीद केसरी चन्द्र स्मृति दिवस</p> <p>18 अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस</p> <p>25 श्रीदेव सुमन जयन्ती</p> <p>30 हिन्दी पत्रकारिता दिवस</p> <p>❖ जून ❖</p> <p>05 विश्व पर्यावरण दिवस</p> <p>06 एस.एम.आर.जनजातीय(पी.जी.) कॉलेज स्थापना दिवस</p> <p>21 अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस</p>
--	---	---



सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज

S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध-309

साहिया, तहसील-कालसी, देहरादून-248196 उत्तराखण्ड

फोन नं.: 01360-298172, 9759491931, 7906624646, 9759591931, 9410508036

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विशेष अध्ययन केन्द्र कोड 11130

फोन नं.: 0135-2719867, 9719491931, 9759491934, 7579244111